

## कृषि ऋण और किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता: जींद जिले के संदर्भ में एक अध्ययन

<sup>1</sup>ममता, <sup>2</sup>डॉ. वीरेंद्र सिंह (सहायक प्रोफेसर)

<sup>1</sup>शोधार्थी, <sup>2</sup>शोध निर्देशक

<sup>1-2</sup>समाजशास्त्र विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक 124021, हरियाणा

### सारांश

किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता का अर्थ केवल ऊँची आय नहीं, बल्कि आय की निरंतरता, उपभोग की सुरक्षा, परिसंपत्तियों का संरक्षण और अचानक आने वाले आघातों को सहने की क्षमता है। कृषि ऋण इस स्थिरता को दोनों दिशाओं में प्रभावित करता है: वह निवेश और संकट के समय उपभोग को सहारा देकर स्थिरता बढ़ा सकता है, और ब्याज तथा किस्तों के बढ़ते बोझ से उसे कमज़ोर भी कर सकता है। प्रस्तुत अध्ययन हरियाणा के जींद जिले के संदर्भ में यह परखता है कि कृषि ऋण किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार और किन परिस्थितियों में प्रभावित करता है। अध्ययन में आर्थिक स्थिरता के चार आयाम निर्धारित किए गए हैं: आय स्थिरता, उपभोग सुरक्षा, परिसंपत्ति सुरक्षा और ऋण-वहन क्षमता। इनके मापन के लिए ऋण-आय अनुपात, ऋण-सेवा अनुपात और ऋण-परिसंपत्ति अनुपात जैसे सूचकों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में प्रति कृषक परिवार औसत बकाया ऋण 1,82,922 रुपये और औसत वार्षिक आय लगभग 2,74,092 रुपये थी। इन आँकड़ों पर आधारित गणना से पता चलता है कि संस्थागत ब्याज दर पर ऋण-सेवा का भार आय का लगभग 18 प्रतिशत है, जबकि अनौपचारिक दरों पर यह 29 प्रतिशत तक पहुँच जाता है और फसल हानि की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि ऋण का स्रोत, ब्याज दर, उपयोग का स्वरूप और आय-जोखिम से सुरक्षा ही यह तय करते हैं कि ऋण स्थिरता का साधन बनेगा या अस्थिरता का कारण।

**मुख्य शब्द:** कृषि ऋण, आर्थिक स्थिरता, ऋण-सेवा अनुपात, ऋण-वहन क्षमता, आय जोखिम, जींद, हरियाणा

### 1. भूमिका

खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें खर्च पहले होता है और आय बाद में। बुवाई से लेकर कटाई तक किसान को बीज, खाद, सिंचाई, डीज़ल और मज़दूरी पर निरंतर खर्च करना पड़ता है, जबकि आय फसल की बिक्री के बाद, वर्ष में दो या तीन बार ही प्राप्त होती है। आय और व्यय के इस समय-अंतर को भरने के लिए ऋण आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, पशुधन और भूमि सुधार जैसे दीर्घकालीन निवेशों के लिए भी किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। इसलिए कृषि ऋण स्वयं में कोई समस्या नहीं है; समस्या तब उत्पन्न होती है जब ऋण का बोझ परिवार की चुकाने की क्षमता से अधिक हो जाता है।

हरियाणा देश के कृषि-समृद्ध राज्यों में गिना जाता है, परंतु यहाँ के कृषक परिवारों पर औसत ऋण भी देश में सबसे अधिक में से एक है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या अधिक ऋण अधिक निवेश और समृद्धि का संकेत है, या यह परिवारों की आर्थिक स्थिरता पर बढ़ते दबाव का द्योतक है। इस प्रश्न का उत्तर केवल ऋण की कुल मात्रा से नहीं मिल सकता। इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि ऋण किस स्रोत से और किस ब्याज दर पर लिया गया, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए हुआ, परिवार की आय कितनी स्थिर है, और आय में अचानक गिरावट की स्थिति में परिवार ऋण चुकाने में कितना सक्षम है।

जींद जिला इस प्रश्न के अध्ययन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। यह एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहाँ गेहूँ-धान और

कपास पर आधारित फसल-चक्र, भूगर्भ जल पर आधारित सिंचाई, मंडी व्यवस्था और आढ़ती-आधारित अनौपचारिक ऋण की परंपरा, सभी एक साथ मौजूद हैं। प्रस्तुत अध्ययन आर्थिक स्थिरता की एक स्पष्ट अवधारणा और उसके मापन के सूचकों के आधार पर जींद जिले के किसान परिवारों पर कृषि ऋण के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

इस विषय का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि हाल के वर्षों में कृषि पर जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम की अनिश्चितता, कीटों के नए प्रकोप, भूगर्भ जल का गिरता स्तर और लागत में तेज़ वृद्धि ने खेती की आय को पहले से अधिक अस्थिर बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में ऋण का प्रश्न केवल उसकी उपलब्धता का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह प्रश्न बन जाता है कि किसान परिवार उस ऋण को बिना अपनी आर्थिक सुरक्षा खोए किस प्रकार वहन कर सकते हैं। इसलिए ऋण और आर्थिक स्थिरता के संबंध का व्यवस्थित विश्लेषण नीति-निर्माण के लिए भी उपयोगी है।

## 2. आर्थिक स्थिरता की अवधारणा

आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य किसी परिवार की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह समय के साथ अपनी आय, उपभोग और परिसंपत्तियों को सुरक्षित रख सके और आर्थिक आघातों का सामना करते हुए अपने जीवन-स्तर में तीव्र गिरावट से बच सके। विकासशील देशों के ग्रामीण परिवारों पर हुए अध्ययनों में यह पाया गया है कि परिवार आय में उतार-चढ़ाव के बावजूद बचत, ऋण, परिसंपत्ति बिक्री और सामाजिक सहायता के माध्यम से अपने उपभोग को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं (मोर्डुक, 1995)। भारत के गाँवों पर हुए एक प्रसिद्ध अध्ययन ने यह दिखाया कि परिवार आंशिक रूप से एक-दूसरे के जोखिम को साझा करते हैं, परंतु यह साझेदारी पूर्ण नहीं होती और गरीब परिवार अधिक असुरक्षित रहते हैं (टाउनसेंड, 1994)।

इस आधार पर प्रस्तुत अध्ययन में किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को चार आयामों में समझा गया है, जो तालिका 1 में दिए गए हैं।

**तालिका 1. किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता के आयाम और उनके सूचक**

| आयाम               | अर्थ                                                                | प्रमुख सूचक                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| आय स्थिरता         | वर्ष-दर-वर्ष आय में कम उतार-चढ़ाव और आय के विविध स्रोत              | आय का परिवर्तन गुणांक, गैर-फसल आय का अंश  |
| उपभोग सुरक्षा      | आय घटने पर भी भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आवश्यक खर्च बनाए रखना    | आवश्यक उपभोग पर खर्च में कटौती की आवृत्ति |
| परिसंपत्ति सुरक्षा | ऋण चुकाने के लिए भूमि, पशुधन या आभूषण न बेचना पड़े                  | ऋण-परिसंपत्ति अनुपात, संकटकालीन बिक्री    |
| ऋण-वहन क्षमता      | आय से ब्याज और किस्त चुकाने के बाद भी परिवार की आवश्यकताएँ पूरी हों | ऋण-आय अनुपात, ऋण-सेवा अनुपात              |

इन चारों आयामों के बीच घनिष्ठ संबंध है। आय में अस्थिरता होने पर परिवार उपभोग बनाए रखने के लिए ऋण लेता है; यदि ऋण अधिक महंगा हो और आय की बहाली न हो, तो उसे परिसंपत्तियाँ बेचनी पड़ती हैं; और परिसंपत्तियों की हानि भविष्य की आय-क्षमता को और कमज़ोर कर देती है। इस प्रकार ऋण, आय और परिसंपत्ति के बीच एक चक्र बनता है जो सही परिस्थितियों में स्थिरता की ओर और गलत परिस्थितियों में अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।

## 3. पूर्व अध्ययनों का पुनरावलोकन

कृषि ऋण और ग्रामीण आर्थिक परिणामों के संबंध पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं। सामाजिक बैंकिंग के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के विस्तार का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि बैंक शाखाओं के विस्तार से ग्रामीण निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई (बर्गेस एवं पांडे, 2005)। एक अन्य अध्ययन ने दिखाया कि औपचारिक ऋण की उपलब्धता से कृषि निवेश और उत्पादन में वृद्धि हुई, यद्यपि इसका सार्वजनिक व्यय भी काफी अधिक रहा (बिन्सवेंगर एवं खांडकर, 1995)। राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि कृषि ऋण की वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

समय के साथ कमज़ोर हुआ है, क्योंकि ऋण का बड़ा भाग अल्पकालीन और कम उत्पादक उपयोगों में जा रहा है (नारायणन, 2016)।

ऋण के स्रोत का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय किसान सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित एक अध्ययन ने पाया कि संस्थागत ऋण लेने वाले कृषक परिवारों की कृषि आय और उत्पादकता अनौपचारिक ऋण लेने वालों की तुलना में अधिक थी (कुमार एवं अन्य, 2017)। हरियाणा के गाँवों के समाजशास्त्रीय अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि व्यापारी-आढ़ती से लिया गया ऋण किसान को निर्भरता के संबंधों में बाँध देता है (जोधका, 1995)। कृषि आय पर हुए विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि आय की वृद्धि गैर-कृषि आय की तुलना में धीमी रही है और उसमें अधिक उतार-चढ़ाव रहा है (चंद एवं अन्य, 2015)।

नीतिगत साहित्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर विचार करते हुए उत्पादकता, लागत में कमी, बेहतर मूल्य और गैर-कृषि आय के विस्तार को आवश्यक माना गया (चंद, 2017)। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति ने ऋण के साथ-साथ बाज़ार सुधार, जोखिम-प्रबंधन और फसल-विविधीकरण पर बल दिया (भारत सरकार, 2018)। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ऋण और आय के संबंध पर व्यापक शोध हुआ है, परंतु आर्थिक स्थिरता के विभिन्न आयामों को एक साथ रखकर जिला स्तर पर विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हुआ है।

#### 4. अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्य

हरियाणा में कृषक परिवारों पर ऋण का बोझ राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, जबकि जलवायु परिवर्तन, भूगर्भ जल के गिरते स्तर और बाज़ार मूल्यों की अनिश्चितता से कृषि आय का जोखिम बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि ऋण किसान परिवारों को आघात सहने में मदद करता है या उनकी असुरक्षा बढ़ाता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता के आयामों और सूचकों को स्पष्ट करना।
2. जींद जिले और हरियाणा के संदर्भ में कृषि ऋण के स्तर, स्रोत और उपयोग का विश्लेषण करना।
3. ऋण-आय और ऋण-सेवा अनुपातों के माध्यम से किसान परिवारों की ऋण-वहन क्षमता का आकलन करना।
4. ब्याज दर और आय-आघात की विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक स्थिरता पर ऋण के प्रभाव का अनुमान लगाना।
5. किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देना।

#### 5. शोध पद्धति

##### 5.1 अध्ययन का स्वरूप और आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक और मात्रात्मक-वर्णनात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिनके मुख्य स्रोत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कृषक परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (2019), नाबार्ड का अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2021-22), जनगणना 2011, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के प्रतिवेदन तथा प्रकाशित शोध अध्ययन हैं। जिला-स्तर पर विस्तृत ऋण आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण हरियाणा राज्य के औसत आँकड़ों को जींद जिले के किसान परिवारों की स्थिति के प्रतिनिधि अनुमान के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिले की कृषि संरचना राज्य के मध्यवर्ती मैदानी जिलों के समान है।

##### 5.2 आर्थिक स्थिरता के मापन सूचक

ऋण-वहन क्षमता और आर्थिक स्थिरता के आकलन के लिए निम्नलिखित सूचकों का उपयोग किया गया है:

**(क) ऋण-आय अनुपात:** यह बताता है कि परिवार का कुल बकाया ऋण उसकी वार्षिक आय का कितना गुना या कितना भाग है।

$$\text{ऋण-आय अनुपात} = \text{कुल बकाया ऋण} \div \text{वार्षिक पारिवारिक आय}$$

**(ख) ऋण-सेवा अनुपात:** यह बताता है कि परिवार की वार्षिक आय का कितना प्रतिशत भाग ब्याज और मूलधन की किस्त चुकाने में जाता है।

ऋण-सेवा अनुपात (%) = [(वार्षिक ब्याज + वार्षिक मूलधन किस्त) ÷ वार्षिक आय] × 100

**(ग) ऋण-परिसंपत्ति अनुपात:** यह परिवार के कुल ऋण की तुलना उसकी कुल परिसंपत्तियों, जैसे भूमि, मकान, पशुधन और मशीनों के मूल्य से करता है।

ऋण-परिसंपत्ति अनुपात = कुल बकाया ऋण ÷ कुल परिसंपत्तियों का मूल्य

**(घ) आय का परिवर्तन गुणांक:** यह विभिन्न वर्षों में आय के उतार-चढ़ाव को मापता है, जहाँ  $\sigma$  आय का मानक विचलन और  $\bar{x}$  औसत आय है।

परिवर्तन गुणांक (%) =  $(\sigma \div \bar{x}) \times 100$

सामान्यतः ऋण-सेवा अनुपात का 20 से 25 प्रतिशत से अधिक होना यह संकेत देता है कि परिवार की आय का बड़ा भाग ऋण चुकाने में जा रहा है और आवश्यक उपभोग तथा बचत के लिए कम राशि बचती है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं सूचकों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में ऋण-वहन क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

## 6. जींद जिले की कृषि अर्थव्यवस्था: एक संक्षिप्त परिचय

जींद जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 13,34,152 थी, जिसका अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है (भारत की जनगणना, 2011)। जिले की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- **फसल-चक्र:** रबी में गेहूँ और सरसों तथा खरीफ में धान और कपास प्रमुख फसलें हैं, जिनमें गेहूँ और धान की सरकारी खरीद आय को कुछ स्थिरता देती है।
- **सिंचाई:** नहरों के साथ-साथ ट्यूबवेल सिंचाई का प्रमुख साधन है, जिससे बिजली, डीज़ल और बोरवेल पर निवेश की आवश्यकता रहती है।
- **पशुपालन:** दुधारू पशुओं, विशेषकर भैंस पालन से नियमित नकद आय प्राप्त होती है, जो फसल आय के उतार-चढ़ाव को आंशिक रूप से संतुलित करती है।
- **मंडी व्यवस्था:** जिले की अनाज मंडियों में आढ़तियों की भूमिका फसल बिक्री के साथ-साथ ऋण उपलब्ध कराने में भी है।
- **जोत संरचना:** पीढ़ी-दर-पीढ़ी बँटवारे से जोतों का औसत आकार घटा है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों का अनुपात बढ़ा है।

इन विशेषताओं से स्पष्ट है कि जिले के किसान परिवारों की आय फसल, पशुपालन और मज़दूरी जैसे विविध स्रोतों पर आधारित है, परंतु फसल आय का हिस्सा सबसे बड़ा और सबसे जोखिमपूर्ण है।

### 6.1 आर्थिक स्थिरता के निर्धारक: एक समेकित दृष्टि

उपर्युक्त अवधारणा और जिले की विशेषताओं को मिलाकर किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों को एक क्रम में समझा जा सकता है। पहला स्तर ऋण की विशेषताओं का है: ऋण की मात्रा, स्रोत, ब्याज दर और पुनर्भुगतान की अवधि। दूसरा स्तर ऋण के उपयोग का है: उत्पादक निवेश, फसल खर्च या उपभोग। तीसरा स्तर आय की विशेषताओं का है: आय का आकार, उसके स्रोतों की विविधता और उसमें उतार-चढ़ाव। चौथा स्तर जोखिम-सुरक्षा का है: बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी सहायता और परिवार-समुदाय का सहयोग। इन चारों स्तरों की परस्पर क्रिया से यह तय होता है कि ऋण-सेवा अनुपात प्रबंधनीय रहेगा या नहीं, और परिणामस्वरूप परिवार की आय, उपभोग और परिसंपत्तियाँ स्थिर रहेंगी या नहीं। प्रस्तुत अध्ययन का विश्लेषण इसी क्रम में आगे बढ़ता है।

## 7. विश्लेषण और विवेचना

### 7.1 ऋण का स्तर और ऋण-आय अनुपात

राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 2019 में देश के 50.2 प्रतिशत कृषक परिवार ऋणग्रस्त थे (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2021)। तालिका 2 में हरियाणा, पंजाब और अखिल भारतीय स्तर पर प्रति कृषक परिवार औसत बकाया ऋण, औसत वार्षिक आय और ऋण-आय अनुपात दिए गए हैं।

**तालिका 2. प्रति कृषक परिवार औसत ऋण, वार्षिक आय और ऋण-आय अनुपात (2018-19)**

| क्षेत्र   | औसत बकाया ऋण (रुपये) | औसत वार्षिक आय (रुपये) | ऋण-आय अनुपात |
|-----------|----------------------|------------------------|--------------|
| हरियाणा   | 1,82,922             | 2,74,092               | 0.67         |
| पंजाब     | 2,03,249             | 3,20,412               | 0.63         |
| अखिल भारत | 74,121               | 1,22,616               | 0.60         |

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2021) के औसत ऋण और औसत मासिक आय के आँकड़ों से गणना। वार्षिक आय = औसत मासिक आय × 12।

तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा में ऋण-आय अनुपात 0.67 है, अर्थात् औसत कृषक परिवार का ऋण उसकी वार्षिक आय के दो-तिहाई के बराबर है। यह अनुपात पंजाब और राष्ट्रीय औसत दोनों से अधिक है। ऊँची आय के बावजूद ऊँचा अनुपात यह दर्शाता है कि हरियाणा के परिवार अपनी आय के सापेक्ष अधिक ऋण ले रहे हैं, जिसका एक कारण पूँजी-प्रधान खेती और दूसरा कारण आवासीय तथा सामाजिक खर्चों के लिए लिया गया ऋण है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 69.6 प्रतिशत बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों से था (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2021), जिसका अर्थ है कि लगभग एक-तिहाई ऋण अब भी अनौपचारिक और अपेक्षाकृत महँगे स्रोतों से लिया जाता है।

### 7.2 ब्याज दर और ऋण-सेवा का भार

ऋण का कुल आकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी लागत है। बैंकों से समय पर चुकाए जाने वाले फसल ऋण पर ब्याज अनुदान के कारण प्रभावी ब्याज दर कम रहती है, जबकि आढ़तियों और साहूकारों से लिया गया ऋण कहीं अधिक महँगा होता है। हरियाणा के औसत ऋण (1,82,922 रुपये) और औसत वार्षिक आय (2,74,092 रुपये) के आधार पर विभिन्न ब्याज दरों पर ऋण-सेवा का भार तालिका 3 में अनुमानित किया गया है। गणना में यह माना गया है कि मूलधन पाँच वर्षों में बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, अर्थात् वार्षिक मूलधन किस्त 36,584 रुपये है।

**तालिका 3. विभिन्न ब्याज दरों और आय-परिस्थितियों में ऋण-सेवा अनुपात (हरियाणा के औसत कृषक परिवार हेतु अनुमान)**

| वार्षिक ब्याज दर      | वार्षिक ब्याज (रुपये) | ब्याज का आय में अंश (%) | ऋण-सेवा अनुपात: सामान्य आय (%) | ऋण-सेवा अनुपात: आय में 30% गिरावट (%) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 7% (रियायती संस्थागत) | 12,805                | 4.7                     | 18.0                           | 25.7                                  |
| 12% (सामान्य बैंक दर) | 21,951                | 8.0                     | 21.4                           | 30.5                                  |
| 18% (अनौपचारिक)       | 32,926                | 12.0                    | 25.4                           | 36.2                                  |
| 24% (साहूकारी)        | 43,901                | 16.0                    | 29.4                           | 41.9                                  |

स्रोत: तालिका 2 के आँकड़ों पर आधारित गणना। आय में 30 प्रतिशत गिरावट फसल विफलता या मूल्य गिरावट की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 3 के परिणाम आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

- **ब्याज दर का प्रभाव:** समान ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत होने पर वार्षिक ब्याज 12,805 रुपये से बढ़कर 43,901 रुपये हो जाता है, अर्थात् तीन गुने से अधिक।
- **सामान्य वर्ष में भार:** रियायती संस्थागत ऋण पर ऋण-सेवा अनुपात 18 प्रतिशत है, जो प्रबंधनीय सीमा में है, जबकि साहूकारी दर पर यह लगभग 29 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।

- **आघात की स्थिति में भार:** आय में 30 प्रतिशत की गिरावट होने पर रियायती ऋण पर भी अनुपात लगभग 26 प्रतिशत हो जाता है, और साहूकारी ऋण पर 42 प्रतिशत तक, जिससे परिवार के पास आवश्यक उपभोग के लिए बहुत कम राशि बचती है।
- **स्रोत का महत्व:** किसी परिवार की आर्थिक स्थिरता इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि उसका ऋण किस स्रोत से है, न कि केवल इस पर कि ऋण कितना है।

यह विश्लेषण बताता है कि छोटे और सीमांत किसान, जो अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं, सबसे अधिक असुरक्षित हैं। उनकी आय औसत से कम और ब्याज दर औसत से अधिक होने के कारण उनका वास्तविक ऋण-सेवा अनुपात तालिका में दिए गए औसत अनुमानों से भी अधिक हो सकता है।

### 7.3 ऋण का उपयोग: उत्पादक और अनुत्पादक

ऋण का उपयोग किस प्रयोजन के लिए होता है, यह भी आर्थिक स्थिरता को निर्धारित करता है। ऋण के उपयोग को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

1. **उत्पादक अल्पकालीन उपयोग:** बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे फसल-उत्पादन के खर्च। यह ऋण उसी फसल की आय से चुकाया जा सकता है, बशर्ते फसल सफल हो।
2. **उत्पादक दीर्घकालीन उपयोग:** ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, पशुधन और भूमि सुधार में निवेश। यह भविष्य की आय-क्षमता बढ़ाता है, परंतु प्रतिफल धीरे-धीरे मिलता है।
3. **अनुत्पादक या उपभोग उपयोग:** विवाह, मकान निर्माण, वाहन, बीमारी और सामाजिक आयोजन। यह जीवन की आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों के लिए अनिवार्य हो सकता है, परंतु इससे कोई अतिरिक्त आय नहीं होती।

जब ऋण का बड़ा भाग तीसरी श्रेणी में जाता है, तो ऋण चुकाने का बोझ परिवार की मौजूदा आय पर पड़ता है और आर्थिक स्थिरता कमजोर होती है। राष्ट्रीय विश्लेषण भी यह संकेत देता है कि ऋण वृद्धि का उत्पादन पर प्रभाव इसलिए कम हुआ है क्योंकि ऋण का एक बड़ा भाग कम उत्पादक उपयोगों में जा रहा है (नारायणन, 2016)। बीमारी पर होने वाला अचानक खर्च विशेष रूप से अस्थिरता का कारण बनता है, क्योंकि वह अनियोजित होता है और प्रायः अनौपचारिक स्रोतों से तुरंत ऋण लेकर पूरा किया जाता है।

### 7.4 आय-जोखिम और आघात

किसान परिवार की आर्थिक स्थिरता पर सबसे बड़ा खतरा अचानक आने वाले आघातों से होता है। जींद जैसे क्षेत्र में प्रमुख आघात निम्नलिखित हैं:

- **मौसम संबंधी आघात:** असमय वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा या अत्यधिक गर्मी से फसल को होने वाली हानि।
- **कीट और रोग:** कपास में गुलाबी सुंडी जैसे कीटों और फसल रोगों से उत्पादन में भारी गिरावट।
- **मूल्य आघात:** उन फसलों में जिनकी सरकारी खरीद सीमित है, बाज़ार मूल्य में अचानक गिरावट।
- **स्वास्थ्य आघात:** परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, जिससे खर्च बढ़ता है और श्रम-शक्ति घटती है।
- **पशुधन हानि:** दुधारू पशुओं की बीमारी या मृत्यु, जिससे नियमित आय का एक स्रोत समाप्त हो जाता है।

इन आघातों के समय परिवार प्रायः नया ऋण लेकर उपभोग बनाए रखने का प्रयास करता है। ग्रामीण परिवारों पर हुए अध्ययन बताते हैं कि जब बीमा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर होती है, तब ऋण ही उपभोग को स्थिर रखने का मुख्य साधन बन जाता है (मोर्डुक, 1995)। अल्पकाल में यह स्थिरता देता है, परंतु यदि आघात बार-बार हों, तो ऋण का संचय दीर्घकाल में अस्थिरता का कारण बन जाता है।

आघातों की आवृत्ति का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि किसी परिवार को पाँच वर्षों में एक बार फसल हानि होती है, तो वह शेष वर्षों की आय से ऋण चुका सकता है; परंतु यदि लगातार दो या तीन मौसमों में हानि हो, तो पुराना

ऋण चुकाने से पहले ही नया ऋण लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ब्याज पर ब्याज का बोझ बढ़ता है और ऋण-सेवा अनुपात तालिका 3 में दिए गए अनुमानों से भी अधिक हो सकता है। इसलिए आर्थिक स्थिरता का आकलन केवल एक वर्ष की आय से नहीं, बल्कि कई वर्षों की आय के उतार-चढ़ाव, अर्थात् परिवर्तन गुणांक, को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जिन परिवारों की आय में परिवर्तन गुणांक अधिक है, उनके लिए समान ऋण भी अधिक जोखिमपूर्ण होता है।

### 7.5 परिसंपत्ति सुरक्षा पर प्रभाव

किसान परिवार की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति उसकी भूमि है, जो आय का स्रोत होने के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की सुरक्षा का आधार भी है। जब ऋण-सेवा का भार आय से पूरा नहीं हो पाता, तब परिवार पहले बचत और आभूषणों का उपयोग करता है, फिर पशुधन बेचता है, और अंततः भूमि को गिरवी रखने या बेचने के लिए विवश हो सकता है। परिसंपत्ति हानि का यह क्रम आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे गंभीर खतरा है, क्योंकि इससे परिवार की भविष्य की आय-क्षमता स्थायी रूप से घट जाती है। हरियाणा में भूमि का ऊँचा बाज़ार मूल्य ऋण-परिसंपत्ति अनुपात को कागज़ पर कम दिखाता है, परंतु भूमि बेचने की सामाजिक और भावनात्मक कीमत बहुत अधिक होने के कारण परिवार इसे अंतिम विकल्प मानते हैं।

### 7.6 संस्थागत पहुँच और किसान क्रेडिट कार्ड

संस्थागत ऋण तक पहुँच आर्थिक स्थिरता का एक प्रमुख आधार है, क्योंकि यह कम ब्याज दर, लंबी अवधि और पुनर्गठन की सुविधा देता है। नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में केवल 44 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड था (नाबार्ड, 2024)। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यदल ने यह भी पाया कि कृषि ऋण का वितरण क्षेत्रों और किसान वर्गों के बीच असमान है और छोटे तथा सीमांत किसानों तक इसकी पहुँच अपर्याप्त है (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2019)। संस्थागत ऋण का लाभ लेने वाले परिवारों की कृषि आय अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है (कुमार एवं अन्य, 2017), जिससे यह स्पष्ट है कि संस्थागत पहुँच का विस्तार आर्थिक स्थिरता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय हो सकता है।

संस्थागत पहुँच के मार्ग में कुछ व्यावहारिक बाधाएँ भी हैं। भूमि के दस्तावेज़ों का अद्यतन न होना, संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि पर ऋण लेने में कठिनाई, बैंक शाखाओं तक दूरी, कागज़ी कार्यवाही में लगने वाला समय और पुराने ऋण के बकाया होने पर नया ऋण न मिलना, ऐसी बाधाएँ हैं जो किसानों को अनौपचारिक स्रोतों की ओर धकेलती हैं। काशतकार और ठेके पर खेती करने वाले किसान, जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं होता, इन बाधाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। डिजिटल भूमि अभिलेख, सरल आवेदन प्रक्रिया और बैंक मित्र जैसी व्यवस्थाएँ इन बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकती हैं, परंतु इनका लाभ तभी मिलेगा जब ग्रामीण स्तर पर किसानों को इनके बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए।

### 7.7 सामाजिक दायित्व और ऋण

ग्रामीण हरियाणा में परिवार की आर्थिक स्थिरता सामाजिक दायित्वों से अलग नहीं है। विवाह, भात, छोछक जैसी रस्में, मृत्यु-भोज और धार्मिक आयोजन सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, और इन पर होने वाला खर्च प्रायः परिवार की वार्षिक आय के एक बड़े भाग के बराबर होता है। ऐसे खर्च अनियमित परंतु अपरिहार्य माने जाते हैं, इसलिए परिवार इनके लिए ऋण लेने में संकोच नहीं करता। यह ऋण उत्पादक आय उत्पन्न नहीं करता और इसका पुनर्भुगतान खेती की आय से ही करना पड़ता है। हरियाणा के ग्रामीण अध्ययनों में यह पाया गया है कि ऐसे सामाजिक खर्चों के लिए लिया गया ऋण किसान को स्थानीय ऋणदाताओं पर अधिक निर्भर बनाता है (जोधका, 1995)। आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से इसका अर्थ है कि ऋण-सेवा अनुपात में वृद्धि का एक भाग कृषि से नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है।

### 7.8 परिवार की संरचना और आर्थिक स्थिरता

परिवार की संरचना भी ऋण-वहन क्षमता को प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार में कई कमाने वाले सदस्य, साझा परिसंपत्तियाँ और आपसी सहयोग आघातों को सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। एकल परिवारों में भूमि का आकार छोटा होता है और आय के स्रोत सीमित होते हैं, जिससे आघात का प्रभाव अधिक होता है। परिवार के सदस्यों में से किसी का सरकारी या निजी नौकरी में होना, या सेना में सेवा करना, हरियाणा के ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जो ऋण चुकाने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। महिलाएँ पशुपालन और घरेलू प्रबंधन के माध्यम से आय और उपभोग की स्थिरता में बड़ा योगदान देती हैं, यद्यपि भूमि और ऋण के औपचारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। अतः किसी परिवार की आर्थिक स्थिरता केवल उसकी भूमि और फसल पर नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की आय के विविध स्रोतों पर भी निर्भर करती है।

### 7.9 सरकारी सहायता का योगदान

केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक योजनाएँ किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को सहारा देती हैं। इनमें प्रमुख हैं:

- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** लचीली अल्पकालीन ऋण सुविधा, जिससे किसान आवश्यकता के अनुसार राशि निकाल और जमा कर सकते हैं।
- **ब्याज अनुदान:** समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को रियायती दर पर फसल ऋण, जिससे ऋण-सेवा का भार कम होता है।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:** 2019 से पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** 2016 से फसल हानि की स्थिति में बीमा सुरक्षा।
- **हरियाणा की राज्य-स्तरीय पहलें:** भावांतर भरपाई योजना (2018) के माध्यम से कुछ बागवानी फसलों में मूल्य अंतर की भरपाई और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल पंजीकरण, जिससे खरीद, मुआवज़े और सहायता के लाभ किसानों तक पहुँचाने में मदद मिलती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद:** हरियाणा में गेहूँ और धान की व्यापक सरकारी खरीद से इन फसलों की आय में अपेक्षाकृत स्थिरता।

इन योजनाओं का प्रभाव समान नहीं है। उदाहरण के लिए, 6,000 रुपये की वार्षिक आय सहायता हरियाणा के औसत कृषक परिवार की वार्षिक आय (2,74,092 रुपये) का लगभग 2.2 प्रतिशत और तालिका 3 में अनुमानित रियायती दर के वार्षिक ब्याज (12,805 रुपये) का लगभग आधा है। अतः यह सहायता छोटे किसानों के लिए उपयोगी है, परंतु ऋण-वहन क्षमता में बड़ा परिवर्तन नहीं लाती। इसके विपरीत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद और समय पर बीमा भुगतान आय-आघात को सीधे कम करते हैं और इसलिए आर्थिक स्थिरता पर अधिक प्रभाव डालते हैं।

### 7.10 ऋण-वहन क्षमता के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर किसान परिवारों को ऋण-सेवा अनुपात और उससे जुड़ी विशेषताओं के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण तालिका 4 में दिया गया है और इसका उद्देश्य नीति-निर्माताओं तथा बैंकों को यह समझने में सहायता देना है कि किस प्रकार के परिवारों को किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है।

तालिका 4. ऋण-सेवा अनुपात के आधार पर किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता की श्रेणियाँ

| श्रेणी     | ऋण-सेवा अनुपात     | संभावित विशेषताएँ                                                                | आवश्यक समर्थन                                             |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| स्थिर      | 20 प्रतिशत से कम   | संस्थागत ऋण, उत्पादक उपयोग, विविध आय स्रोत, मध्यम या बड़ी जोत                    | निवेश ऋण और बाज़ार सुविधाएँ                               |
| संवेदनशील  | 20 से 30 प्रतिशत   | संस्थागत और अनौपचारिक दोनों प्रकार का ऋण, फसल आय पर अधिक निर्भरता, छोटी जोत      | बीमा, ऋण पुनर्गठन, आय विविधीकरण                           |
| संकटग्रस्त | 30 प्रतिशत से अधिक | अनौपचारिक ऋण की प्रधानता, बार-बार आघात, उपभोग हेतु ऋण, परिसंपत्ति बिक्री का खतरा | ऋण राहत, सस्ता प्रतिस्थापन ऋण, सामाजिक सुरक्षा और परामर्श |

स्रोत: तालिका 3 के विश्लेषण पर आधारित वर्गीकरण।

तालिका 3 और तालिका 4 को साथ रखने पर स्पष्ट होता है कि हरियाणा का औसत कृषक परिवार सामान्य वर्ष में और संस्थागत ऋण की स्थिति में स्थिर श्रेणी में रहता है, परंतु अनौपचारिक ऋण या आय-आघात की स्थिति में वह संवेदनशील या संकटग्रस्त श्रेणी में पहुँच सकता है। इसका अर्थ है कि अधिकांश परिवारों के लिए स्थिरता स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर है। नीतियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि परिवारों को संवेदनशील श्रेणी से संकटग्रस्त श्रेणी में जाने से रोका जाए।

## 8. प्रमुख निष्कर्ष

विश्लेषण के आधार पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. हरियाणा और जींद जैसे जिलों में कृषि ऋण का स्तर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, और ऋण-आय अनुपात (0.67) पंजाब तथा अखिल भारतीय औसत से भी अधिक है।
2. ऋण का स्रोत आर्थिक स्थिरता का सबसे निर्णायक कारक है। रियायती संस्थागत ऋण पर ऋण-सेवा अनुपात प्रबंधनीय (लगभग 18 प्रतिशत) रहता है, जबकि अनौपचारिक दरों पर यह 25 से 29 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।
3. आय-आघात ऋण के बोझ को तेज़ी से असहनीय बना देते हैं। आय में 30 प्रतिशत की गिरावट पर ऋण-सेवा अनुपात 26 से 42 प्रतिशत तक हो जाता है।
4. उत्पादक दीर्घकालीन निवेश के लिए लिया गया ऋण भविष्य की स्थिरता बढ़ाता है, जबकि उपभोग और सामाजिक आयोजनों के लिए लिया गया ऋण वर्तमान आय पर दबाव डालता है।
5. पशुपालन और गैर-कृषि आय जैसे विविध आय स्रोत ऋण-वहन क्षमता को बढ़ाते हैं और आघातों के प्रभाव को कम करते हैं।
6. छोटे, सीमांत और काश्तकार किसान संस्थागत ऋण से अपेक्षाकृत वंचित होने के कारण आर्थिक अस्थिरता के सबसे अधिक जोखिम में हैं।

## 9. नीतिगत सुझाव

किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जाते हैं:

- **संस्थागत ऋण की सार्वभौमिक पहुँच:** सभी पात्र किसानों, विशेषकर छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए और भूमि-ज़मानत के बिना समूह-आधारित ऋण की व्यवस्था की जाए।
- **अनौपचारिक ऋण का प्रतिस्थापन:** आढ़तियों और साहूकारों पर निर्भरता घटाने के लिए उपभोग और आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु भी सस्ते संस्थागत ऋण उपलब्ध कराए जाएँ।

- **लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्था:** फसल हानि की स्थिति में ऋण का स्वतः पुनर्गठन, किस्तों का स्थगन और ब्याज राहत दी जाए, ताकि आघात के समय परिसंपत्ति बिक्री से बचा जा सके।
- **जोखिम सुरक्षा:** फसल बीमा के दावों का समयबद्ध निपटान, पशुधन बीमा का विस्तार और स्वास्थ्य बीमा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
- **आय विविधीकरण:** डेयरी, बागवानी, कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन देकर फसल आय पर निर्भरता घटाई जाए।
- **वित्तीय परामर्श:** ग्राम स्तर पर वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ, जहाँ किसान ऋण-सेवा अनुपात जैसी सरल गणनाओं से अपनी ऋण-क्षमता का आकलन कर सकें।
- **जिला-स्तरीय निगरानी:** जिले स्तर पर कृषक परिवारों की आय और ऋण का नियमित सर्वेक्षण किया जाए, ताकि अस्थिरता के जोखिम वाले परिवारों की समय रहते पहचान हो सके।

इन सुझावों के पीछे मूल विचार यह है कि ऋण नीति को केवल ऋण की मात्रा बढ़ाने तक सीमित न रखकर उसे आय-सुरक्षा और जोखिम-प्रबंधन से जोड़ा जाए। आर्थिक सर्वेक्षण में भी कृषि क्षेत्र में आय विविधीकरण और जोखिम-न्यूनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है (भारत सरकार, 2025)।

## 10. उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि ऋण और किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता का संबंध सरल नहीं है। ऋण वह साधन है जिससे किसान खेती का खर्च उठाते हैं, निवेश करते हैं और आघात के समय अपना उपभोग बनाए रखते हैं। इस दृष्टि से ऋण स्थिरता का आधार है। परंतु जब ऋण महँगे स्रोतों से लिया जाता है, अनुत्पादक उपयोगों में जाता है, और आय-आघातों से सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर होती है, तब वही ऋण परिवार की आय, उपभोग और परिसंपत्तियों तीनों को अस्थिर कर देता है।

जींद जिले और हरियाणा के संदर्भ में ऊँचा ऋण-आय अनुपात यह संकेत देता है कि किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता एक नाजुक संतुलन पर टिकी है। सामान्य वर्षों में और संस्थागत ऋण की स्थिति में यह संतुलन बना रहता है, परंतु फसल विफलता, मूल्य गिरावट या बीमारी जैसे आघात और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता इसे तेज़ी से बिगाड़ सकते हैं। इसलिए किसान परिवारों की आर्थिक स्थिरता के लिए सस्ते और सुलभ संस्थागत ऋण, प्रभावी जोखिम-सुरक्षा, लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्था और आय के विविध स्रोत, इन चारों का एक साथ होना आवश्यक है।

अध्ययन का एक व्यापक निष्कर्ष यह भी है कि आर्थिक स्थिरता को मापने के लिए केवल औसत आय या कुल ऋण जैसे एकल सूचक पर्याप्त नहीं हैं। ऋण-आय अनुपात, ऋण-सेवा अनुपात, ऋण-परिसंपत्ति अनुपात और आय का परिवर्तन गुणांक जैसे सूचक मिलकर ही यह बता सकते हैं कि कोई परिवार कितना सुरक्षित है। यदि बैंक, सहकारी समितियाँ और कृषि विभाग ऋण स्वीकृत करते समय इन सूचकों का उपयोग करें और किसानों को भी इनके बारे में जागरूक किया जाए, तो ऋण को किसान परिवारों के लिए स्थिरता और विकास का अधिक विश्वसनीय साधन बनाया जा सकता है।

**अध्ययन की सीमाएँ:** प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और जिले के लिए राज्य-स्तरीय औसत का उपयोग करता है। तालिका 3 की गणनाएँ औसत परिवार के लिए अनुमान हैं और विभिन्न आकार की जोत वाले परिवारों के लिए वास्तविक स्थिति भिन्न हो सकती है। भावी अध्ययनों में जींद जिले के विभिन्न खंडों में परिवार-स्तरीय प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से इन सूचकों का प्रत्यक्ष मापन किया जा सकता है।

## संदर्भ सूची

- 1 कुमार, ए., मिश्रा, ए. के., सरोज, एस., एवं जोशी, पी. के. (2017). भारत में कृषक परिवारों को संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत ऋण: राष्ट्रीय किसान सर्वेक्षण से प्रभाव के साक्ष्य. *इकोनॉमिक सिस्टम्स*, 41(3).
- 2 चंद, आर. (2017). *किसानों की आय दोगुनी करना: औचित्य, रणनीति, संभावनाएँ और कार्य योजना* (नीति नीतिगत प्रपत्र संख्या 1/2017). नीति आयोग, नई दिल्ली.
- 3 चंद, आर., सक्सेना, आर., एवं राणा, एस. (2015). भारत में कृषि आय के अनुमान और विश्लेषण, 1983–84 से 2011–12. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 50(22).
- 4 जोधका, एस. एस. (1995). *ऋण, निर्भरता और कृषिगत परिवर्तन*. रावत पब्लिकेशंस, जयपुर.
- 5 टाउनसेंड, आर. एम. (1994). ग्रामीण भारत में जोखिम और बीमा. *इकोनोमेट्रिका*, 62(3), 539–591.
- 6 नाबार्ड. (2024). *नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नैफिस) 2021–22*. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई.
- 7 नारायणन, एस. (2016). भारत में कृषि ऋण की उत्पादकता. *एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 47(4), 399–409.
- 8 बर्गेस, आर., एवं पांडे, आर. (2005). क्या ग्रामीण बैंक महत्वपूर्ण हैं? भारतीय सामाजिक बैंकिंग प्रयोग से साक्ष्य. *अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू*, 95(3), 780–795.
- 9 बिन्सवेंगर, एच. पी., एवं खांडकर, एस. आर. (1995). भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औपचारिक वित्त का प्रभाव. *द जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़*, 32(2), 234–262.
- 10 भारत की जनगणना. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: जींद*. जनगणना कार्य निदेशालय, हरियाणा.
- 11 भारत सरकार. (2018). *किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन*. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.
- 12 भारत सरकार. (2025). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25*. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली.
- 13 भारतीय रिज़र्व बैंक. (2019). *कृषि ऋण की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्यदल का प्रतिवेदन*. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई.
- 14 मोर्दुक, जे. (1995). आय समरूपण और उपभोग समरूपण. *जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स*, 9(3), 103–114.
- 15 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. (2021). *ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन तथा परिवारों की भूमि एवं पशुधन जोत, 2019* (एन.एस.एस. प्रतिवेदन संख्या 587). सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली.